अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
28/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 185/2008** **दुगई मुण्डा व अन्य बनाम् बबलू कुम्हार व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–29R15/2007-08 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। विशेषतः विनियमन पदाधिकारी द्वारा एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–02/2003–03 में भूमि वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था। उक्त भूमि ग्राम–हेसल, खाता नम्बर–77, प्लॉट नम्बर–484, रकबा–1.37 एकड़ है, जिसमें कुल–13 विपक्षियों के द्वारा अलग–अलग प्लॉट बनाकर क्रय किया गया है। प्रश्नगत् अपील दिनांक–10.06.2013 को विलम्ब को क्षान्त करते हुये सुनवाई हेतु अंगीकृत की जा चुकी है। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने में कुछ विलम्ब हुआ, जिसके पश्चात् उभय पक्षों की सुनवाई की गयी। अपीलार्थियों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि उनकी पुश्तैनी खतियानी भूमि है। विपक्षियों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित आदिवासी भूमि को क्रय कर लिया गया है। विपक्षी द्वारा 1942 में सादा हुकूमनामा से प्रश्नगत् भूमि प्राप्त करने का दावा किया गया है, जो पूर्णतः फर्जी है। उक्त भूमि कभी भी जमीन्दार को इस्तीफा नहीं दी गयी थी। तेलंगा मुण्डा, फतेह मुण्डा एवं भुचा मुण्डा के बीच हुये बंटवारा नामा को इस वाद में गलत तरीके से उपयोग किया गया है। 1974 में किये गये निबंधित केवाला में उल्लेख के आधार पर अपर समाहर्त्ता द्वारा भूमि को छप्परबंदी घोषित किया गया है, जो पूर्णतः अनुचित है। प्रश्नगत् भूमि खतियान में कायमी दर्ज है। उक्त आलोक में भूमि वापसी का आदेश पूर्णतः उचित था, जिसे बिना किसी समुचित आधार के अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। विपक्षियों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि 1942 में सादा हुकूमनामा से इस्तीफा करने के बाद जमीन्दार जगदीश्वर दयाल सिंह ने 1974 में निबंधित केवाला से विपक्षी को भूमि की बिक्री की गयी है। उक्त भूमि छप्परबंदी भूमि के रूप में बिक्री की गयी है, जिस पर भूमि वापसी का दावा नहीं किया जा सकता है। भूमि वापसी	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	का आवेदन कालबाधित है, क्योंकि भूमि का हस्तांतरण 1942 में ही किया जा चुका है। वर्णित परिस्थिति में यह पुनरीक्षण मान्य करने का कोई आधार नहीं है। उभय पक्षों के सुनवाई तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं आदेशों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि को कथित रूप से 1938 में खतियानी रैयत द्वारा सादा हुकूमनामा से पूर्व जमीन्दार को इस्तीफा कर दिया गया। उक्त इस्तिफा के पश्चात् यह भूमि तेलंगा मुण्डा, फतेह मुण्डा एवं फुचा मुण्डा को 1942 में बंदोबस्त कर दी गयी। फतेह मुण्डा के पुत्र द्वारा 1974 में जगीदश्वर दयाल सिंह को भूमि की बिक्री की गयी, जिनके द्वारा निबंधित केवाला से विपक्षियों को प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण किया गया। 1955–56 में दायर जमीन्दारी रिटर्न में प्रश्नगत् भूमि के रैयत के रूप में तेलंगा मुण्डा, धाते मुण्डा एवं फुचा मुण्डा के नाम दर्ज है। पूर्व जमीन्दार को भूमि की बंदोबस्ती करने का अधिकार प्राप्त था, जिसके आधार पर यह बंदोबस्ती की गयी थी। एक बंदोबस्तधारी के पुत्र रामचन्द्र मुण्डा द्वारा 1974 में जगदीश्वर दयाल सिंह को भूमि का हस्तांतरण किया गया। आदिवासी रैयत द्वारा बिना उपायुक्त के सहमति प्राप्त किये वर्ष–1974 में किया गया हस्तांतरण स्पष्टतः अवैध है। 1974 में गैर आदिवासी व्यक्तियों को लिखे गये केवाला में छप्परबंदी का उल्लेख किये जाने से छप्परबंदी ठहराया जाना उचित नहीं है। जमाबंदी रिटर्न में उक्त भूमि का लगान छप्परबंदी के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। 1973–74 में जगदीश्वर दयाल सिंह के पक्ष में नामान्तरण वाद 119/ R27 स्वीकृत किया गया है। आदिवासी बंदोबस्तधारी रामचन्द्र मुण्डा के द्वारा गैर आदिवासी व्यक्तियों को भूमि का हस्तांतरण किस आधार पर किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। प्रश्नगत् भूमि खतियान में कायमी दर्ज है। कायमी भूमि को इस्तीफा नामा के द्वारा जमीन्दार के साथ हस्तांतरण जो सादा पट्टा से किया गया है, निश्चित रूप से संदेहास्पद है। मूलतः यह भूमि 1974 में गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हुई है। उक्त वर्ष तक भूमि आदिवासी व्यक्तियों के नाम पर ही रही है। विपक्षियों के द्वारा लगातार उक्त भूमि को छप्परबंदी घोषित करने का प्रयास किया गया है। खतियानी रैयत मात्र एक नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का नाम भी खतियान में था, ऐसी स्थिति में सभी रैयतों के द्वारा इस्तीफा किया गया, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। भूमि का गैर आदिवासी व्यक्ति को हस्तांतरण 1974 में किया गया है। इस प्रकार भूमि वापसी का आवेदन कालबाधित नहीं ठहराया जा सकता। यह मानने का पूरा आधार है कि भूमि का	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	वास्तविक अंतरण 1974 में ही किया गया है। विपक्षियों के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे कि प्रश्नगत् भूमि पर उनके द्वारा 1969 के पूर्व कोई निर्माण किये जाने के साक्ष्य हो। एक सादा पट्टा से किये गये कथित इस्तीफा नामा के आधार पर कायमी भूमि को वकास्त घोषित किया जाना पूर्णतः अनुचित है। मात्र विपक्षियों के द्वारा Municipal रसीद प्राप्त करने से आदिवासी भूमि पर उनका कोई अधिकार साबित नहीं हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि पूर्व में अपीलीय न्यायालय द्वारा Admission के समय ही अपील खारिज कर दी गयी थी। बाद में इस न्यायालय द्वारा दिये गये Remand आदेश के आधार पर पुनः सुनवाई की गयी एवं भूमि वापसी के आदेश को रद्द कर दिया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करते हुये, अपीलीय न्यायालय का आदेश खारिज किया जाता है। प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत के वारिसों को उचित पहचान पर वापस करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची को प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.05 13:17:34 +05:30
Location: 192.168.1.40